	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 20, शुक्रवार, *शाके* 1945-फरवरी 09, 2024 *Magha 20 Friday , Saka 1945- February 09 , 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 07, 2024

जी.एस.आर.142 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 31 का संशोधन.- राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 31 में,-

(i) मद (ख) में,-

(क) क्रम संख्यांक 4 के सामने विद्यमान अभिव्यक्ति "सदस्य", के स्थान पर अभिव्यक्ति "सदस्य-सचिव" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियां हटायी जायेंगी;

(ii) विद्यमान मद (ग) और उसकी प्रविष्टियों को मद (घ) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा;

(iii) इस प्रकार संशोधित मद (ख) के पश्चात् और इस प्रकार पुन:संख्यांकित मद (घ) से पूर्व, निम्नलिखित नया मद (ग) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले ऐसे पद (पदों) के लिए, जिस (जिन) पर नियुक्तियां संबंधित रेंज के संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती हैं:

1.	आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उसका कोई सदस्य	अध्यक्ष
2.	संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
3.	कार्मिक विभाग के प्रभारी शासन सचिव का नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो	सदस्य
4.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा का नामनिर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की रैंक से नीचे का ना हो	सदस्य
5.	संबंधित रेंज का संयुक्त निदेशक, विद्यालय शिक्षा	सदस्य-सचिव

"और

(iv) इस प्रकार पुन:संख्यांकित मद (घ) में क्रम संख्यांक 1 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति "माध्यमिक शिक्षा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विद्यालय शिक्षा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 32 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 32 के उप-नियम (4) के परंतुक के विद्यमान खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iv) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन पदोन्नति के लिए निरर्हित नहीं है तो 01.06.2002 से उसे निरर्हित नहीं समझा जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।"

4. नियम 36 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 36 के परंतुक के विद्यमान खंड (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(7) ऐसे व्यक्ति को, जिसका स्थानांतरण उसके स्वयं के अनुरोध पर पूर्व रेंज/ जिला/नियुक्ति प्राधिकारी से दूसरी रेंज/ जिला /नियुक्ति प्राधिकारी में हो गया है, उत्तरकालीन रेंज/ जिला /नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस पद पर पहले से ही नियुक्त कनिष्ठतम व्यक्ति से नीचे रखा जायेगा और उसे पूर्व रेंज/ जिला /नियुक्ति प्राधिकारी, जहां से उसका स्थानांतरण हुआ है, में वरिष्ठता से संबंधित कोई अधिकार नहीं होगा।"

5. अनुसूची-I का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-I में,-

(1) शीर्ष समूह क: प्रशासनिक विंग के अधीन,-

(i) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 7 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया** जायेगा, अर्थात्:-

"रा.अ.शि.प. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर और बी.एड. या समतुल्य परीक्षा के साथ स्तंभ सं.6 में उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव।";

(ii) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 8 में विद्यमान मद संख्या 3 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नयी मद संख्या 4 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"4. इन नियमों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, यदि पदोन्नति के लिए पात्र और उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, एक बारीय उपाय के रूप में सरकार, वर्ष 2023-24 के लिए अपेक्षित अनुभव में 100% तक शिथिलीकरण प्रदान कर सकेगी"; और

(iii) क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तंभ संख्यांक 7 में विद्यमान अभिव्यक्ति, "वि.अ.आ. द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "रा.अ.शि.प. द्वारा" **प्रतिस्थापित की जायेगी।**

(2) **शीर्ष समूह ख: अध्यापन विंग के अधीन,-**

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

1.	प्राध्यापक (जीव विज्ञान)	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	प्राणिविज्ञान/वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्मजीव-विज्ञान/जीव-प्रौद्योगिकी/ जीवन विज्ञान/जैव विज्ञान में वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा बशर्ते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा के साथ उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणिविज्ञान का अध्ययन किया हो।	1.वरिष्ठ अध्यापक 2.वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)	प्राणिविज्ञान/ वनस्पति विज्ञान/ सूक्ष्मजीव-विज्ञान/जीव-प्रौद्योगिकी/ जीवन विज्ञान/जैव विज्ञान में वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा बशर्ते उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणिविज्ञान का अध्ययन किया हो साथ में स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	ऐसे अभ्यर्थी पर भी, जिसने 03.08.2021 से पूर्व स्नातक स्तर से भिन्न विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो, पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

"

(ii) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ अध्यापक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ अध्यापक(सामान्य)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 8 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ अध्यापकों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ अध्यापक(सामान्य)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ अध्यापकों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ अध्यापक(सामान्य)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ संख्यांक 8 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ अध्यापकों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वरिष्ठ अध्यापक(सामान्य)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vi) विद्यमान क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

4.	प्राध्यापक (ड्राइंग)	100 प्रतिशत	-	ड्राइंग में वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता अथवा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कला के किसी विद्यालय/महाविद्यालय से कला में चार/पांच वर्ष की अवधि का डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)	ड्राइंग में वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता के साथ स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या वैकल्पिक विषय के रूप में ड्राइंग के साथ हायर सैकण्डरी/ सैकण्डरी या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता के साथ ही स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष के अनुभव को सम्मिलित करते हुए 10 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य), जो स्तम्भ संख्यांक 7 में यथाउल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष हो जाने तक, पद को 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

"

(vii) विद्यमान क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

5.	प्राध्यापक (कृषि)	100 प्रतिशत	-	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/ राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कृषि/ उद्यान-कृषि में चार वर्ष की स्नातक डिग्री और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/ राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कृषि/ उद्यान-कृषि के सुसंगत विषयों में स्नातकोत्तर के साथ शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त डिग्री या डिप्लोमा।	वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/ राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कृषि/ उद्यान-कृषि में चार वर्ष की स्नातक डिग्री और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कृषि/ उद्यान-कृषि के सुसंगत विषयों में स्नातकोत्तर के साथ शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त डिग्री या डिप्लोमा साथ ही स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)जो स्तंभ संख्यांक 7 में यथा उल्लिखित अर्हता रखते हैं, के निःशेष हो जाने तक पद को 50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

"

(viii) क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "वरिष्ठ अध्यापक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1. वरिष्ठ अध्यापक 2. वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ix) क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तंभ संख्यांक 8 में विद्यमान विराम चिह्न "-" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे अभ्यर्थी पर भी, जिसने 3.08.2021 से पूर्व स्नातक स्तर से भिन्न विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो, पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(x) इस प्रकार संशोधित विद्यमान क्रम संख्यांक 6 के पश्चात् निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 7 और 8 तथा उनकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

7.	प्राध्यापक (गृह विज्ञान)	100 प्रतिशत	-	गृह विज्ञान में, वि.अ.आ./ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा	वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)	गृह विज्ञान में वि.अ.आ./ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त	वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)जो स्तंभ संख्यांक 7 में यथा उल्लिखित

				मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा के साथ शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा।		स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा, बशर्ते उन्होनें स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान विषय में अध्ययन किया हो, साथ ही स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	अर्हता रखते हैं, के नि:शेष हो जाने तक पद को 50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
8.	प्राध्यापक (विशेष शिक्षा)	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	(i) निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा:- 1. अंग्रेजी 2. हिन्दी 3. इतिहास 4. राजनीति विज्ञान 5. समाजशास्त्र 6. संगीत और (ii) बी.एड. (विशेष शिक्षा) या बी.एड. के साथ भारतीय पुनर्वास	वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)	(i) निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में वि.अ.आ. द्वारा मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा:- 1. अंग्रेजी 2. हिन्दी 3. इतिहास 4.राजनीति विज्ञान 5. समाजशास्त्र 6. संगीत और (ii) बी.एड. (विशेष शिक्षा) या बी.एड. साथ में भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई)	-

				परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा।		द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा, साथ ही स्तंभ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	

"

(3) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 में, शीर्ष समूह घ: शारीरिक शिक्षा विंग के अधीन, विद्यमान अभिव्यक्ति "पूर्णकालिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पूर्णावधि/ पूर्णकालिक" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. अनुसूची-II का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-II में शीर्ष समूह-क: अध्यापन विंग के अधीन,-

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "2. प्रयोगशाला सहायक" के पश्चात अभिव्यक्ति "3. अध्यापक (विशेष शिक्षा)" जोड़ी जायेगी;

(ii) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ संख्यांक 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "3. दृष्टि बाधित विद्यालय/मूक-बधिर विद्यालय में अध्यापक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "3. अध्यापक (विशेष शिक्षा)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "दृष्टि बाधित विद्यालय/मूक-बधिर विद्यालय में अध्यापक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अध्यापक (विशेष शिक्षा)" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) क्रम संख्यांक 7 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "और" के स्थान पर विराम चिह्न "," प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. अनुसूची-III का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-III में,-

(1) शीर्ष**, 3. विद्यालय प्राध्यापक के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण** के अधीन क्रम संख्यांक 6 में,-

(i) प्रश्नपत्र-I 'सामान्य अध्ययन' की मद संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "शैक्षिक प्रबंधन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) प्रश्नपत्र-II 'संबंधित विषय' की मद संख्या 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "शैक्षिक मनोविज्ञान" हटायी जायेगी;

(2) शीर्ष**, 5. वरिष्ठ अध्यापक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण** के अधीन,-

(i) प्रश्नपत्र-I के क्रम संख्यांक 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए" हटायी जायेगी; और

(ii) प्रश्नपत्र-II के क्रम संख्यांक 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए" हटायी जायेगी;

(3) शीर्ष, 6. **प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण** के अधीन, प्रश्नपत्र-I के क्रम संख्यांक 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए" हटायी जायेगी;

(4) शीर्ष, 8. **पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II और ग्रेड-III के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण** के अधीन,-

(i) प्रश्नपत्र-I के क्रम संख्यांक 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए" हटायी जायेगी;

(ii) प्रश्नपत्र- II के क्रम संख्यांक 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए" हटायी जायेगी;

(iii) प्रश्नपत्र-II के क्रम संख्यांक 6 में,-

(क) मद-(ii) के अधीन विद्यमान अभिव्यक्ति "सूचीकरण का मानक पाठ्यक्रम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सूचीकरण की मानक संहिता" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) मद-(iii) के अधीन "विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान" हटायी जायेगी;

(ग) मद-(iii) के अधीन विद्यमान अभिव्यक्ति "उनकी विशेषताएं सी.सी., ई.डी.सी.,यू.डी.सी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उनकी विशेषताएं सी.सी., डी.डी.सी, यू.डी.सी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(घ) मद-(iv) के अधीन विद्यमान अभिव्यक्ति "शिक्षा मनोविज्ञान" हटायी जायेगी।

(5) शीर्ष, **9. प्रयोगशाला सहायक पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण** के अधीन,-

(i) प्रश्नपत्र-I के क्रम संख्यांक 5 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए" हटायी जायेगी; और

(ii) प्रश्नपत्र-II के क्रम संख्यांक 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए" हटायी जायेगी;

(6) शीर्ष, **10. वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण** के अधीन,-

(i) विद्‌यमान क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और शीर्ष 'प्रश्नपत्र-I के प्रश्नपत्रों का पाठ्य विवरण और विस्तार, से पूर्व निम्नलिखित क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"6. न्यूनतम अर्हक अंक 40% होंगे। परंतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त नियत प्रतिशत को 5% तक शिथिल किया जायेगा।"

(ii) प्रश्नपत्र-II के विद्‌यमान क्रम संख्यांक 5 को क्रम संख्यांक 6 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा; और

(iii) विद्‌यमान क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और इस प्रकार पुन: संख्यांकित क्रम संख्यांक से पूर्व, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"5. न्यूनतम अर्हक अंक 40% होंगे। परंतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त नियत प्रतिशत को 5% तक शिथिल किया जायेगा।"

(7) शीर्ष, **11. बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण** के अधीन,-

(i) प्रश्नपत्र-I के विद्‌यमान क्रम संख्यांक 4,5 और 6 को क्रमश: क्रम संख्यांक 5,6 और 7 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायेगा; और

(ii) विद्‌यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और इस प्रकार पुन: संख्यांकित क्रम संख्यांक 5 से पूर्व, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"4. न्यूनतम अर्हक अंक 40% होंगे। परंतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त नियत प्रतिशत को 5% शिथिल किया जायेगा।";

(iii) प्रश्नपत्र-II के विद्‌यमान क्रम संख्यांक 5 को क्रम संख्यांक 6 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायेगा; और

(iv) क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और इस प्रकार पुन: संख्यांकित क्रम संख्यांक 6 से पूर्व, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"5. न्यूनतम अर्हक अंक 40% होंगे। परंतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त नियत प्रतिशत को 5% तक शिथिल किया जायेगा।"

(8) विद्‌यमान शीर्ष 11 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया शीर्ष 12 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"**12. प्राध्यापक (विशेष शिक्षा) के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण:-**

(1) परीक्षा 450 अंकों की होगी।

(2) दो प्रश्नपत्र होंगे। प्रश्नपत्र-I 150 अंकों का होगा और प्रश्नपत्र-II 300 अंकों का होगा। प्रश्नपत्र-I की समयावधि डेढ़ घंटे की और प्रश्नपत्र-II की समयावधि 3 घंटे की होगी।

(3) दोनों प्रश्नपत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे।

(4) न्यूनतम अर्हक अंक 40% होंगे। परंतु अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त नियत प्रतिशत को 5% शिथिल किया जायेगा।

(5) उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंको का एक तिहाई भाग काटा जायेगा।

स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है।

(6) दोनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित विषय निम्नानुसार हैं।

प्रश्नपत्रों का पाठ्य विवरण और विस्तार:- परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर, ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे, सूचित किया जायेगा।

प्रश्नपत्र-I : सामान्य अध्ययन

समयावधि: 1 घंटा 30 मिनिट

विषय

1. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल देते हुए राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास।
2. मानसिक क्षमता परीक्षण, सांख्यिकी (सैकण्डरी स्तर), गणित (सैकण्डरी स्तर), भाषा हिंदी और अंग्रेजी योग्यता परीक्षण।
3. समसामयिक मामले।
4. सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल।
5. शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम।

प्रश्नपत्र-II विषय और विशेष शिक्षा

समयावधि: 3 घंटे

विषय

1. विषयों अर्थात् अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, संगीत का सीनियर सैकण्डरी स्तर का ज्ञान।

-150 अंक

2. विशेष शिक्षा:- विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों और विशेष शिक्षा के संबंध में अभिकरण, नीतियां, अधिनियम और नियम। पेडागोजी, अध्यापन अधिगम सामग्री, अध्यापन अधिगम में कंप्यूटर का प्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी। विभिन्न प्रकार की निर्योग्यता वाले विशेष रूप से योग्य छात्रों के लिए शिक्षा।

-150 अंक

[सं. एफ.1(3)डीओपी/ए-II/2021]

[राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 07, 2024

G.S.R.142 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes following rules further to amend the Rajasthan Educational (State and Subordinate) Services Rules, 2021, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Educational (State and Subordinate) Services (First Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 31.- In rule 31 of the Rajasthan Educational (State and Subordinate) Services Rules, 2021, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) in item (b),-

(a) for the existing expression, “Member”, against serial number 4, the expression “Member Secretary" shall be substituted; and

(b) the existing serial number 5 and entries thereto shall be deleted;

(ii) the existing item (c) and entries thereto shall be renumbered as item (d);

(iii) after item (b), so amended and before item (d), so renumbered, the following new item (c) shall be inserted, namely:-

“(c) for the post(s), appointments whereto are to be made by the Joint Director of the range concerned, falling within the purview of the Commission:

1.	Chairman of the Commission or a member thereof nominated by him.	Chairman
2.	Joint Secretary/Deputy Secretary to the Government in the Department of Education.	Member
3.	Nominee of the Secretary-in-charge to the Government in the Department of Personnel, not below the rank of Deputy Secretary to the	Member

Government.

4. Nominee of Director, Secondary Education, not below the rank of Joint Director. — Member

5. Joint Director, School Education of the range concerned — Member Secretary

" and

(iv) in item (d), so renumbered, for the existing expression, "Secondary Education", against serial number 1, the expression "School Education" shall be substituted.

3. Amendment of rule 32.- The existing clause (iv) of proviso to sub-rule (4) of rule 32 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"(iv) any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be deemed to be disqualified with effect from 01.06.2002, if any child is born out of single delivery from such remarriage.**"**

4. Amendment of rule 36.- The existing clause (7) of proviso to rule 36 of the said rules shall be substituted by the following, namely, -

"(7) the person who gets transferred on his/her own request to another range /district/appointing authority from the former range/district/appointing authority shall be placed below the junior most person already appointed to this post by the later range/district/appointing authority and he/she shall have no right regarding seniority in the former range/district/appointing authority from where he/she has been transferred."

5. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the said rules,-

(1) under the heading Group-A: Administrative wing,-

(i) the existing entries of column number 7, against serial number 5, shall be substituted by the following, namely, -
"Post graduate and B.Ed. or equivalent examination recognized by the NCTE with 3 years' experience on the post mentioned in column number 6.";

(ii) after the existing item number 3 and entries thereto, in column number 8 against serial number 5, the following new item number 4 and entries thereto shall be added, namely:-
"4. Notwithstanding anything contained in these rules, as a one time measure the Government may provide upto 100% relaxation in the required experience for the year 2023-24, if the eligible and suitable persons for promotion are not available"; and

(iii) in column number 7, against serial number 6, for the existing expression, " by UGC" the expression "by the NCTE" shall be substituted.

(2) under heading Group B : Teaching wing, -

(i) the existing serial number 1 and entries thereto shall be substituted by the following, namely :-

"

1.	Lecturer (Biology)	50%	50%	Post Graduate or Equivalent examination	1.Senior Teacher	Post Graduate or Equivalent examination	A candidate, who has obtained degree

				recognized by UGC in Zoology/ Botany/ Micro-Biology/ Bio-Technology/ Life Science/ Bio Science provided they have Studied Botany and Zoology at Graduation level with degree or diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.	2. Senior Teacher (Special Education)	recognized by UGC in Zoology/ Botany/ Micro-Biology/ Bio-Technology/ Life Science/ Bio Science provided they have Studied Botany and Zoology at Graduation level with 5 years' experience on the post mentioned in column 6.	of Post Graduation in subject other than Graduate level before 03.08.2021, shall also be considered for promotion.

"

(ii) in column number 6, against serial number 2, for the existing expression, "Senior Teacher", the expression "Senior Teacher (General)" shall be substituted;

(iii) in column number 8, against serial number 2 for the existing expression, "Senior Teachers" the expression "Senior Teacher (General)" shall be substituted;

(iv) in column number 6, against serial number 3, for the existing expression, "Senior Teacher", the expression "Senior Teacher (General)" shall be substituted;

(v) in column number 8, against serial number 3, for the existing expression "Senior Teachers", the expression "Senior Teacher (General)" shall be substituted;

(vi) the existing serial number 4 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

4.	Lecturer (Drawing)	100%	_	Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Drawing or the qualification declared equivalent thereto by the Government or Diploma of four/ five years' duration in Arts from any school / College of Arts recognized by the Government.	Senior Teacher (General)	Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Drawing or the qualification declared equivalent thereto by the Government with 5 years experience on the post mentioned in column 6 or Higher Secondary/ Secondary with optional Drawing or the qualification declared equivalent thereto by the Government with 10 years experience including 5 years' on the post mentioned in column 6.	Till the Senior Teacher (General), who have qualification as mentioned in column number 7 are exhausted, the post shall be filled 50% by direct recruitment and 50% by promotion.

"

(vii) the existing serial number 5 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

5.	Lecturer (Agriculture)	100%	_	Four years Bachelor degree in Agriculture / Horticulture from any university recognized by the Indian Council of Agricultural Research / State Government and Post Graduate in relevant subjects of Agriculture / Horticulture from any university recognized by the Indian Council of Agricultural Research/ State Government with Degree or Diploma in Education recognized by the National Council for Teacher Education/Government.	Senior Teacher (General)	Four years Bachelor degree in Agriculture / Horticulture from any university recognized by the Indian Council of Agricultural Research / State Government and Post Graduate in relevant subjects of Agriculture / Horticulture from any university recognized by the Indian Council of Agricultural Research / State Government with Degree or Diploma in Education recognized by the National Council for Teacher Education /Government with 5 years' experience on the post mentioned in column 6.	Till the Senior Teacher (General), who have qualification as mentioned in column number 7 are exhausted, the post shall be filled 50% by direct recruitment and 50% by promotion.

"

(viii) in column number 6, against serial number 6, for the existing expression "Senior Teacher", the expression "1. Senior Teacher 2. Senior Teacher (Special Education)" shall be substituted;

(ix) in column number 8, against serial number 6, for the existing punctuation mark "-", the expression "A candidate who has obtained degree of Post Graduation in subject other than Graduate level before 03.08.2021, shall also be considered for promotion." shall substituted;

(x) after the existing serial number 6, so amended, the following new serial number 7 and 8 and entries thereto shall be added, namely:-

"

7.	Lecturer (Home Science)	100%	_	Post Graduate or equivalent examination recognized by UGC/ Indian Council of Agricultural Research in Home Science with Degree or Diploma in Education recognized by the National	Senior Teacher (General)	Post Graduate or equivalent examination recognized by UGC/ Indian Council of Agricultural Research in Home Science with Degree or Diploma in Education recognized by the National Council	Till the Senior Teacher (General), who have qualification as mentioned in column

				Council of Teacher Education/ Government, .		of Teacher Education/ Government, provided they have Studied Home Science Subject at Graduation level with 5 years' experience on the post mentioned in column 6.	number 7 are exhausted, the post shall be filled 50% by direct recruitment and 50% by promotion .
8	Lecturer (Special Education)	50%	50%	(i) Post-Graduate or equivalent examination recognized by UGC in one of the following subjects:- 1. English 2. Hindi 3. History 4. Political Science 5. Sociology 6. Music and (ii) B.Ed. (Special Education) or B.Ed. with two years diploma in Special Education recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI)	Senior Teacher (Special Education)	(i) Post-Graduate or equivalent examination recognized by UGC in one of the following subjects- 1. English 2. Hindi 3. History 4. Political Science 5. Sociology 6. Music and (ii) B.Ed. (Special Education) or B.Ed. with two years diploma in Special Education recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) with 5 years' experience on the post mentioned in column 6.	-

”

(3) under heading Group D : Physical Education wing, in column number 5, against serial number 5, for the existing expression "term", the expression, "term/time" shall be substituted.

6. Amendment of Schedule-II.– In schedule-II appended to the said rules, under heading 'Group-A: Teaching wing,-

(i) in column number 6, against serial number 1, after the existing expression "2. Laboratory Assistant", the expression "3. Teacher (Special Education)" shall be added;

(ii) in column number 6, against serial number 3, for the existing expression "3. Teacher in Blind School/Deaf and Dumb School", the expression "3. Teacher (Special Education)" shall be substituted;

(iii) in column number 2, against serial number 6, for the existing expression "Teacher in Blind/Deaf & Dumb School", the expression "Teacher (Special Education)" shall be substituted.

(iv) in column number 5, against serial number 7, for the existing expression "and", the punctuation mark "," shall be substituted.

7. Amendment of Schedule–III.- In Schedule- III appended to the said rules,-

(1) under the heading 3. Scheme and syllabus of examination for the post of School Lecturer, in serial number 6,-

(i) in item number 5 of Paper-I General Studies, for the existing expression "Educational Management", the expression "Educational Psychology, Educational Management" shall be substituted; and

(ii) in item number 4 of Paper-II Subject concerned, the existing expression "Educational Psychology," shall be deleted;

(2) under the heading, 5.Scheme and syllabus of competitive examination for the posts of Senior Teacher",-

(i) in serial number 6 of Paper-I, the existing expression "for each paper" shall be deleted; and

(ii) in serial number 5 of Paper-II, the existing expression "for each paper" shall be deleted;

(3) under the heading "6. Scheme and syllabus of competitive examination for the posts Lecturer of Physical Education, Senior Physical Education Teacher and Physical Education Teacher", in serial number 6 of Paper-I, the existing expression "for each paper" shall be deleted;

(4) under the heading, 8. Scheme and syllabus of competitive examination for the post of Librarian Grade-II & Grade-III,-

(i) in serial number 5 of Paper-I, the existing expression "for each paper" shall be deleted;

(ii) in serial number 5 of Paper-II, the existing expression "for each paper" shall be deleted;

(iii) in serial number 6 of Paper-II,-

(a)under the item (ii), for the existing expression "Standard course of cataloging.", the expression "Standard code of cataloging." shall be substituted;

(b) under the item (iii), the existing expression "General Knowledge of world and India." shall be deleted;

(c)under the item (iii), for the existing expression "CC, EDC, UDC", the expression “CC, DDC, UDC” shall be substituted; and

(d) under item (iv), the existing expression “Educational Psychology” shall be deleted.

(5) under the heading, 9. Scheme and syllabus of competitive examination for the post of Laboratory Assistant,-

(i) in serial number 5 of Paper-I, the existing expression "for each paper" shall be deleted;

(ii) in serial number 5 of Paper-II, the existing expression "for each paper" shall be deleted.

(6) under the heading 10. Scheme and syllabus of competitive examination for the posts of Senior Computer Instructor,-

(i) after the existing serial number 5 and entries thereto and before the heading Syllabus and Scope of Papers of Paper-I, the following serial number 6 and entries thereto shall be inserted, namely:-

“6. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.”

(ii) the existing serial number 5 of the Paper-II shall be renumbered as serial number 6; and

(iii) after the existing serial number 4 and entries thereto and before the serial number, so renumbered, the following new serial number 5 and entries thereto shall be inserted, namely:-

“5. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.”

(7) under the heading, 11. Scheme and syllabus of competitive examination for the posts of Basic Computer Instructor,-

(i) the existing serial number 4, 5 and 6 of the Paper-I shall be renumbered as serial number 5, 6 and 7 respectively; and

(ii) after the existing serial number 3 and entries thereto and before the serial number 5 so renumbered, the following new serial number 4 and entries thereto shall be inserted, namely:-

"4. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.”

(iii) the existing serial number 5 of the Paper-II shall be renumbered as serial number 6; and

(iv) after the existing serial number 4 and entries thereto and before the serial number 6, so renumbered, the following new serial number 5 and entries thereto shall be inserted, namely :-

"5. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.”

(8) after the existing heading 11 and entries thereto, the following new heading 12 and entries thereto shall be added, namely :-

"**12. Scheme and syllabus of competitive examination for the post of Lecturer (Special Education)**:-

(1) The examination shall carry 450 marks.

(2) There shall be two papers. Paper I shall be of 150 marks and Paper II shall be of 300 marks. The duration of Paper I shall be one and a half hours and the duration of Paper II shall be three hours.

(3) All the questions in both papers shall be Multiple Choice Type.

(4) The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(5) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer, one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

(6) Subjects included in both the papers are given hereunder.

Syllabus and Scope of Papers:- The syllabus and scope of paper for the examination shall be as prescribed by the Commission, from time to time and shall be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

Paper – I : General Studies

Duration: 1:30 hours

SUBJECTS

1. History of Rajasthan and Indian history with special emphasis on Indian National Movement.
2. Mental Ability Test, Statistics (Secondary level), Mathematics (Secondary level), Language Hindi and English ability test.
3. Current Affairs.
4. General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan.
5. Educational Psychology, Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan and the Right of Children to Free and Compulsory Education Act.

Paper – II Subjects and Special Education

Duration: 3 hours

SUBJECTS

1. **Knowledge of Senior Secondary Level of subjects** *viz.* English, Hindi, History, Political Science, Sociology, Music.

   -150 marks
2. **Special Education:-** Agencies, policies, acts and rules regarding specially abled persons and special education. Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and Information Technology in Teaching Learning. Education for the specially abled students with various kinds of disabilities.

   -150 marks

[No. F. 1(3)DOP/A-II/2021]
By order and in the name of the Governor,
JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.